प्रेस के सूचनार्थ टिप्पणी (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 02/2014)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) चरण–2 शहरों में उपभोक्ताओं का विवरण उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने के लिए अंतिम समय–सीमा निर्धारित की गई

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014 : महानगरों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) को सफलतापूर्वक लागू कराने के उपरांत, प्राधिकरण द्वारा चरण–2 में अधिसूचित 38 शहरों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) को क्रियान्वित करने की निकटता से निगरानी की जा रही है। चरण–2 के अंतर्गत आने वाले शहरों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) को क्रियान्वित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2013 थी।

केबल नेटवर्क के डिजिटलीकरण, जिसमें सेट टॉप बॉक्स लगाने, उपभोक्ताओं से उनके चैनलों/सेवाओं के विकल्प को दर्शाने वाले पूर्ण रूप से भरे हुए उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएफ) प्राप्त करने तथा इसके विवरण को उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने के संबंध में अगस्त/सिंतबर, 2013 से निरंतर मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के साथ बैठकें आयोजित की गईं ।

कार्य की गंभीरता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हित में आस्थगित (फॉर्बेरन्स) विनियामक नीति का प्रयोग किया तथा प्रारंभ में उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएफ) प्राप्त करने तथा उसे उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने के लिए निर्धारित समय–सीमा को बढ़ाकर नवंबर, 2013 किया गया। इसके उपरांत, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के विशेष अनुरोध पर अंतिम समय–सीमा दिसंबर, 2013 निर्धारित की गई ।

राजी/17/1/14

मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) द्वारा प्राधिकरण को उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज की गई वास्तविक संख्या के संबंध में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 23 शहरों में (राजकोट, सूरत, वड़ोदरा, फरीदाबाद, मैसूर, औरंगाबाद, नासिक, पिंपरी–चिंचवाड, पुणे, शोलापुर, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, चंडीगढ़ और हावड़ा) में उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएफ) प्राप्त करने तथा उसे उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करने से संबंधित लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अतः इन शहरों के मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि दिनांक 27 जनवरी, 2014 के बाद केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को टीवी सिग्नल (डिजिटल एन्क्रिप्टेड) भेजे जाएं, जिनके उपभोक्ता आवेदन फार्म (सीएफ) प्राप्त किए जा चुके हैं तथा उनके पूर्ण विवरण उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध हैं, अर्थात मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को उन उपभोक्ताओं के टीवी सिग्नलों को बंद करना होगा, जिनके विवरण उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध नहीं हैं ।

तुलनात्मक आधार पर, मध्य प्रदेश में अनुपालन का स्तर निम्न है। तथापि, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में हाल ही में विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। अतः प्राधिकरण ने शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर हेतु अंतिम समय–सीमा 07 फरवरी, 2014 निर्धारित की है।

स्थानीय परिस्थितियों एवं कानूनी मुद्दों पर विचार करते हुए, विशाखापटनम तथा श्रीनगर शहरों के लिए अंतिम समय–सीमा 28 फरवरी, 2014 निर्धारित की गई है। डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) को क्रियान्वित करने के संबंध में कानूनी मामला लंबित होने के कारण, प्राधिकरण द्वारा इस समय तमिलनाडु और हैदराबाद शहर के लिए कोई अंतिम समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

राजी १७।१।१४